# न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ ( बीकानेर )

मुकदमा नं. ....44..../ 2018 अंतर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956

उनवान :- राज्य सरकार बनाम ....पूनमचन्द....

## निर्णय

दिनांक :- 12.11.18

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इ प्रकार है कि पटवारी हल्का ....जेतासर.... अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि गैर सायल....पूनमचन्द....पुत्र/पत्नी श्री....जेमाराम....जाति....मेघवाल निवासी....जेतासर....द्वारा ग्राम....जेतासर....के आराजी ख.नं. 1115/655 तादादी 21.2[illegible] हैक्टेयर किस्म भूमि....गोचर.... भूमि में से ....0.20....हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्वत् 2075 में नाजायज कच्चा झोपड़ा बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरूद्ध नियमानुसर कार्यवाही क[illegible] का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 [illegible] नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया। गैर सायल बावजूद विधि[illegible] नोटिस तामिल के असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक ....12.11.18....को ईकतर[illegible] कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज/ सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं कि[illegible] गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर साय[illegible] द्वारा उक्त भूमि पर ....कच्चा झोपड़ा बनाकर....अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामि[illegible] संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल ....पूनमचन्द.... का उक्त ख.नं....1115/655....तादादी....21.26....हैक्टेयर....गै.मु. गोचर....भूमि में से....0.20....हैक्टे./वर्गमी[illegible] भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल ....पूनमचन्द....अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल....पूनमचन्द....पुत्र/पत्नी श्री....जेमाराम.... जाति....मेघवाल....निवासी....जेतासर....द्वारा ग्राम....जेतासर.... आराजी ख.नं. 1115/655 तादादी 21.26 हैक्टेयर गै.मु. ....गोचर.... भूमि में से ....0.20 है0.... हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्वत् ....2075....का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता तथा लगान ....0.20....रूपये का 50 गुणा से ....10=00....रूपये शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि.को अतिक्रमी को भौति[illegible] रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ....12.11.18.... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गय[illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।